बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना

विज्ञप्ति संख्या– 16/2017

सभी परीक्षार्थी/अभिभावक/विद्यालय प्रधान को सूचनार्थ

(1) एतद् द्वारा सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी/सभी कोटि के विद्यालय प्रधानों को सूचित किया जाता है कि आगामी वार्षिक माध्यमिक परीक्षा–2017 में सम्मिलित होने वाले नेत्रहीन, विकलांग एवं वैसे छात्र जो शारीरिक रूप से अक्षम है, को समुचित साक्ष्य के आधार पर समिति की नियमावली–1964 की अध्याय–IV की कंडिका– 21 में वर्णित प्रावधान के तहत परीक्षार्थी को परीक्षा संचालन के क्रम में लेखक (Writer) की सुविधा प्रदान की जाती है, जो निम्नवत् है :–

Provision of Writer to blind and physically handicapped candidates – In the following types of cases of the blind and physically handicapped candidate, the use of writer may by allowed by the Board.

I. Candidates with permanent blindness- Writer may be allowed at the cost of the Board.

II. Candidates with permanent loss of limbs who are unable to write- Writer may be allowed at the cost of the Board.

III. Candidates with semi-permanent blindness- writer may be allowed at the cost of the Board on the advice of a competent eye specialist.

IV. Candidates with serious injury who are not able to write- Writer may be allowed after examining each case on its merits. The remuneration of the writer will be paid by the candidates.

Provided that in all such cases the educational qualification of the writer shall be less than that of the candidates.

The remuneration to writers shall be paid at the rate of Rs. 4 per sitting by the Board in categories (i) to (iii) and by the candidate in category (iv) of the clause.

उक्त क्रम में सभी कोटि के विद्यालय प्रधान को सूचित किया जाता है कि अपने विद्यालय से उक्त कोटि के परीक्षार्थियों की विवरणी साक्ष्य सहित जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय के माध्यम से दिनांक–17/02/2017 तक समिति कार्यालय को उपलब्ध करावें ताकि संदर्भित परीक्षार्थियों को नियमसंगत सुविधा प्रदान करने में कठिनाई न हो।

वार्षिक माध्यमिक परीक्षा– 2017 के नेत्रहीन परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा कार्यक्रम

(2) एतद् द्वारा वार्षिक माध्यमिक परीक्षा– 2017 में सम्मिलित होने वाले नेत्रहीन परीक्षार्थियों की गृह विज्ञान (सैद्धांतिक) एवं संगीत (सैद्धांतिक) की परीक्षा निम्नलिखित कार्यक्रमानुसार संचालित होगी :–

परीक्षा की तिथि/दिन	प्रथम पाली
02.03.2017 (गुरूवार)	गृह विज्ञान (सैद्धांतिक) (09.30 पूर्वाह्न से 12.45 अपराह्न)
04.03.2017 (शनिवार)	संगीत (सैद्धांतिक) (09.30 पूर्वाह्न से 12.45 अपराह्न)

सभी पालियों में 15 मिनट का अतिरिक्त समय परीक्षार्थियों को प्रश्नों को पढ़ने एवं समझने के लिए दिया गया है। नेत्रहीन परीक्षार्थियों जिन्हें लेखक (Writer) रखने की अनुमति सम्बद्ध जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा दी जाती है, ऐसे परीक्षार्थियों को परीक्षा के निर्धारित समय में 10 मिनट प्रति घंटा अतिरिक्त समय दिया जाएगा। नेत्रहीन परीक्षार्थियों का दोनों विषयों की सैद्धांतिक परीक्षा ऊपर अंकित तिथि को प्रथम पाली में ली जाएगी।

नोट :–वैसे नेत्रहीन परीक्षार्थी जिनकी परीक्षा द्वितीय पाली में निर्धारित है, की परीक्षा भी प्रथम पाली में आयोजित होगी।

परीक्षा नियंत्रक (मा॰प्र॰)